**उपस्थिति – किरण ओझा**

# न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

**स्वत्व वाद सं0 – 46/2025**

**विनोद तिवारी.......................वादी।**

**बनाम्**

**संतोष तिवारी वगै0...............................प्रतिवादीगण।**

**आदेश**

**17.08.2026**

उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 20.05.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कहते है कि प्रतिवादी सं0 02 राम एकबाल तिवारी की मृत्यु दिनांक 25.05.2026 को हो चुकी है तथा इनके कानूनी वारीसान एक मात्र पुत्र प्रमोद तिवारी प्रतिवादी सं0 04 के रूप में अभिलेख पर पहले से ही मौजूद है। अनुरोध करते है कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए मृत प्रतिवादी सं0 02 राम एकबाल तिवारी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किये है। वादी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत है। वाद अभी उपस्थित पर चल रहा है। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 20.05.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी के अधिवक्ता, कार्यालय लिपिक के समक्ष मृत प्रतिवादी सं0 02 राम एकबाल तिवारी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है।

**दिनांक– 14.09.2026 वास्ते उपस्थिति हेतू ।**

**लेखापित**

**(किरण ओझा)**
**सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,**
**डुमरॉव (बक्सर)**